न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक-742 / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक-04.11.2016</u> फाईलिंग क.आर.सी.टी.3012872016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा जिला बालाघाट(म.प्र.)

- 1.सहदेव पिता बिसरू मरकाम, उम्र ४० वर्ष,
- 2. देवगुन पिता इतवारी धुर्वे, उम्र 33 वर्ष,
- 3.महादेव पिता बिसरू मरकाम, उम्र 37 वर्ष,
- 4.बजरू पिता इतवारी धुर्वे, उम्र 49 वर्ष, सभी निवासी ग्राम धोपघट, थाना बिरसा जिला बालाघाट।

- 01— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—429/34 का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 14.09.16 को समय 20:00 बजे पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा जिला बालाघाट के अंतर्गत ग्राम धोपघट जोहरा तालाब का जंगल बिरसा में अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी हेमसिंह की भैंस कीमत करीब 10,000/— रूपये की बिजली तार से मृत्यु कर रिष्टि कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षक सनुक सैयाम क्रमांक 732 पुलिस चौकी सालेटेकरी को दिनांक 16.09.16 को चौकी प्रभारी सालेटेकरी द्वारा अपराध क्रमांक 0/16 धारा—429 भा.द.वि. एवं 135 म.प्र. अधिनियम 2003 की फरियाद असल कायमी हेतु दी गई थी। दिनांक 14.09.16 को रात लगभग 08:00 बजे गणेश मूर्ति स्थापना स्थल पर उदलसिंह, अश्वंतसिंह तथा साहेबलाल और अन्य लोग बैठे थे, तभी साहेबलाल बोला कि वह घर से खाना खाकर आता है। रात में मूर्ति स्थल पर सोने का बोलकर गया। थोड़ी देर

बाद काफी घबराते हुये आया और बताया कि जब वह घर के पास पहुँचा तो जंगल की ओर से बैल के रहकने की आवाज सुनाई दी, तब वह लोग उसके साथ उदल, अश्वंत व गांव के अन्य लोग टार्च, डंडा लेकर जंगल में गये।

अभियोजन कहानी अनुसार जोहरा तालाब की ओर जैसे ही 03-पहुँचे आदमी और जानवरों के आने-जाने के रास्ते में लकड़ी खूंटी गाड़कर जी.आई. तार सीसी फंसाकर लगाया गया था तथा कुद दूरी पर पहुँचे तो आम झाड़ के नीचे उसका लाल रंग का 04 साल का बैल मरा पड़ा था, जहाँ से जी. आई. तार के सहारे आगे बढ़े तो लोरमी फाटा से अंदर जाने वाली रोड के पास गांव के देवगन, सहदेव, बजरू, महादेव घबराते हुए जंगल की ओर से गांव तरफ भाग रहे थे। वह लोग बिजली लाईन के पास जाकर देखे तो बांस की लंबी लकड़ी वहीं पड़ी थी एवं जी.आई. तार वहीं नीचे पड़ा था। उसके बाद रात्रि में ही गांव में आकर कोटवार शत्रुघन ग्राम लोरमी को फोन कर बुलाये एवं रात में चौकीदारी करके सवेरे गांव में मिटींग किये, जहाँ आरोपीगण को बुलाये। उक्त मीटिंग में आरोपीगण ने बिजली लाईन से जानवर फंसाना तथा तार डालने की बात स्वीकार की, जिसके चपेट में आने के कारण उसका बैल मर गया। उक्त रिपोर्ट पर चौकी सालेटेकरी में अपराध क्रमांक 0/16 धारा-429 ताहि. 135 म.प्र. विद्युत अधिनियम 2003 कायम कर असल नम्बर थाना बिरसा से अपराध क्रमांक 133 / 16 प्राप्त कर विवेचना की गई।

04— अभियोजन कहानी के अनुसार विवेचना के दौरान रिपोर्टकर्ता एवं गवाहों के कथन लेख कर मृत बैल का पंचनामा तैयार कर नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया। पी.एम. कराया गया एवं साक्ष्य संकलित कर घटनास्थल से लकड़ी की खूंटिया, लोहे का जी.आई. तार, कांच की शीशियां जप्त की गई। प्रकरण में धारा—427 ता.हि. का ईजाफा किया गया। आरोपीगण की तलाश कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी सहदेव मरकाम ने अपने धारा—27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरैण्डम कथन में अपना जुर्म स्वीकार कर बताया कि उसने तथा उसके छोटे भाई महादेव, पड़ोसी देवगुन, बजरू के साथ मिलकर बिना किसी

अनुमति के बिजली तार लगाकर जानवर मारने के लिये करंट लगाये थे।

05— अभियोजन कहानी के अनुसार मेमोरेंडम के आधार पर सभी आरोपीगण से निशादेही पर अपराध में प्रयुक्त लकड़ी की खूटियां, लोहे का हिसिया, लोहे का जी.आई. तार, कांच की छोटी शिशियां विधिवत जप्त की गई। घटना दिनांक को मेन लाईन पर विद्युत प्रवाह था या नहीं एवं जप्तशुदा तार से विद्युत प्रवाह होना संभंव है या नहीं विद्युत कार्यालय से परीक्षण कराया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र कमांक 124/16 दिनांक 15.10.16 तैयार कर माननीय न्यायालय इलेक्ट्रीक बोर्ड बालाघाट में पेश कर प्रकरण कमांक 171/16 दिनांक 17.10.16 को प्राप्त किया गया है। मामले में पूरक चालान कमांक 124(अ)/16 दिनांक 23.10.16 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

06— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—429/34 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

07- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1.क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 14.09.16 को समय 20:00 बजे पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा जिला बालाघाट के अंतर्गत ग्राम धोपघट जोहरा तालाब का जंगल बिरसा में अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी हेमसिंह की भैंस कीमत करीब 10,000/— रूपये की बिजली तार से मृत्यु कर रिष्टि कारित की ?

-: विवेचना एवं निष्कर्ष :-

- साक्षी हमेसिंह अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को 08-जानता है। घटना तीन चार माह पूर्व ग्राम लोरमी धूपघट के पास जंगल की है। वह खाना खाकर सो गया था, उसे लोगों ने खबर किये कि उसका बैल जंगल के पास तार में फंस गया है, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ बिजली का खुला तार था, जिसमें बैल फंसा हुआ था। फिर उन्होंने आस-पास पता किया तो आरोपीगण वहाँ नहीं मिले तो अगले दिन सुबह सालेटकरी चौकी जाकर उन्होंने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था और पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष मृत बैल का पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष मृत बैल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पंचनामा में दस हजार रूपये की नुकसानी बताया गया था। पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 09— साक्षी हमेसिंह अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब वह गांव के अन्य लोगों के साथ जंगल तरफ गया तो तालाब पगडंडी पर लकड़ी की खूटी पर लोहे का जी.आई. तार तथा शीशी लगी थी और आम के झाड़ के नीचे उसका लाल रंग का बैल मरा पड़ा था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि लोरमी फाटा से अंदर जाने वाली रोड के पास उन्हें आरोपीगण मिले जो घबराये हुए थे और उन्हें देखकर जंगल के रास्ते से गांव तरफ चले गये, सुबह गांव की मीटिंग में आरोपीगण ने आकर कहा था कि बिजली लाईन से जानवर फंसाना चाहते थे, जिसमें गलती से उसका बैल फंस गया। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

- 10— साक्षी हमेसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके गांव के होने के कारण वह उन्हें पहचानता है, उसने गांव वालों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज किया था, गांव वालों ने आरोपीगण को दुश्मनी के कारण झूठी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बोले हो तो उसे जानकारी नहीं है, बिजली का तार किसने फंसाया था उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने फंसाते हुए नहीं देखा था, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने इस प्रकरण में उसके क्या बयान दर्ज किया पढ़कर नहीं बताया था, उसने इस प्रकरण में जितने जगह हस्ताक्षर किया था पुलिसवालों के कहने पर किया है उन पर क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं हैं।
- साक्षी उदलसिंह अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना गणेश जी के समय में उनके गांव धूपघट के पास जंगल की है। वह लोग चौक के पास गणेश पंडाल में बैठे थे, साहेबलाल वहाँ से अपने घर जंगल के पास जाने के लिये निकला था। थोडी देर बाद साहेबलाल दौडकर आया और बोला कि उसके घर के पास से आवाज आ रही है, जिसके बाद वह लोग जंगल तरफ गये तो देखा कि वहाँ पर तार पड़ा हुआ था। तार के आगे की तरफ जाकर देखने पर वहाँ एक बैल मरा पड़ा मिला। फिर उन्होंने रात भर घटनास्थल पर चौकीदारी की। अगले दिन गांव में मीटिंग की रिपोर्ट लिखाने के लिए वह लोग जा रहे थे, तो रास्ते में आरोपी सहदेव मिला और बोला कि उससे गलती हो गयी है, गांव में समझौता कर लेते है। वापस गांव आने पर गांव वालों ने रिपोर्ट करने को बोला, जिसके बाद उन लोगों ने सालेटेकरी चौकी में घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसके समक्ष मृत बैल का पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष मृत बैल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण ने पुलिस को कोई मैमोरेण्डम कथन नहीं दिया था।

- 12— साक्षी उदलसिंह अ.सा.02 के अनुसार पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल घूपघट जौहरा तालाब जंगल से लकड़ी की खूटियां 06 नग, छोटी शीशियां 30 नग, 300मी. लम्बा जी.आई.तार, बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण से कुछ जप्त नहीं किया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 13— साक्षी उदलसिंह अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटनास्थल के पास उन्हें आरोपीगण मिले थे जो घबराये हुए थे और उन्हें देखकर जंगल तरफ चले गये, घटना के दूसरे दिन गांव में मीटिंग में आरोपीगण सबके सामने बोल रहे थे कि जानवर फंसाने के लिए उनसे गलती हो गयी, हेमसिंह के बैल की मृत्यु आरोपीगण द्वारा बिना अनुमित चोरी के विद्युत तार लगाने के कारण करंट से हुई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.07 पुलिस को न देना व्यक्त किया।
- 14— साक्षी उदलसिंह अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन लेख किये थे, जिसमें उन्होंने अपने पास से सामान बरामद करने की बात बतायी थी, परंतु मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.08, 09, 10, 11 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सहदेव से लोहे की हंसिया और जी.आई. तार का बंडल जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.12 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी महादेव से लकड़ी की सूखी खूटियां जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.13 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी देवगुन से सफेद रंग के प्लास्टिक के थेले में कांच की 22 नग शीशियां जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.14 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी देवगुन से सफेद रंग के प्लास्टिक के

आरोपी बजरू से लोहे के जी.आई. तार का पुराना बंडल जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.15 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.16 लगायत 19 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

- 15— साक्षी उदलसिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके गांव के होने के कारण वह उन्हें पहचानता है, पुलिस के कहने पर जी.आई. तार, खूंटी वह दूसरे दिन लेकर चौकी गये थे, घटनास्थल पर पुलिसवालों ने कोई लिखा—पढ़ी नहीं की थी। साक्षी के अनुसार गांव में चौराहे पर लिखा—पढ़ी की थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने दस्तखत करने के लिए बोला तो उसने दस्तखत कर दिया था, पुलिस ने क्या लिखा—पढ़ी की थी पढ़कर नहीं बताया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि सहदेव ने बोला कि गांव के कोई व्यक्ति ने करंट लगा दिया है, जिसके संबंध में मीटिंग कर लेते है, सहदेव ने ऐसा नहीं बोला था कि उससे गलती हो गयी है मीटिंग कर लेते है।
- 16— साक्षी उदलसिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि गांव वालों के कहने पर शक से रिपोर्ट दर्ज कराये थे, वह एवं उसके गांव के किसी व्यक्ति ने करंट लगाते नहीं देखे थे, पुलिस ने उसके बयान उसे पढ़कर नहीं बताया था, यदि हेमसिंह की दुश्मनी सहदेव से रही हो और दुश्मनी के कारण सहदेव का नाम लिखाया हो तो उसे जानकारी नहीं हैं। घटनास्थल से पूरा सामान पुलिस वालों के कहने पर सामान गांव वालों ने चौकी में पहुँचा दिये थे, इसके बाद पुलिस ने क्या लिखा—पढ़ी की जानकारी नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने इस प्रकरण में जितनी जगह हस्ताक्षर किया है पुलिस के कहने पर किया है पुलिस

फाईलिंग क.आर.सी.टी.3012872016

ने इस संबंध में हस्ताक्षर कराने का कारण नहीं बताया था, घटना किस दिन, तारीख की है उसे जानकारी नहीं है, वह गांव वालों के बताये अनुसार आज बयान दे रहा है।

- साक्षी अश्वन अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष गणेश जी के समय रात्रि में ग्राम धूपघट की है। वह लोग गणेश प्रतिमा के पास बैठे हुए थे, तो साहेबलाल खाना खाने के लिए वहाँ से गया थोड़ी देर बाद वापस आया और कहने लगा कि जंगल तरफ से बैल की आवाज आ रही है, जिसके बाद वह लोग जंगल तरफ गये, तो देखा कि एक बैल मरा हुआ था। घटनास्थल पर तार पड़ा हुआ था। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही आरोपीगण को गिरफ्तार किया था।
- साक्षी अश्वन अ.सा.०३ से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृत बैल हेमसिंह का था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटनास्थल पर जी.आई. तार लकड़ी की खूटी से कांच की छोटी शीशी में लगा था, तार के सहारे आगे चलने पर लोरमी फाटा में लाईन तक जाकर खत्म हुआ जहाँ आरोपीगण देवगुन, सहदेव, महादेव और बिरजू दिखे थे, आरोपीगण बेहद घबराये हुए थे जो उन्हें देखकर तुरंत चले गये, उक्त बात कोटवार शत्रुघन को बताने पर उसने साथ में आकर चौकीदारी की थी, घटना के दूसरे दिन गांव की मीटिंग में आरोपीगण ने आकर गलती होने तथा जानवर मारने के लिए तार लगाने की बात बतायी थी, आरोपीगण ने बिना अनुमति के चोरी से बिजली का तार लगाया जिसके करण्ट से हेमसिंह का बैल मरा था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.20 पुलिस को न देना व्यक्त किया।
- साक्षी अश्वन अ.सा.०३ से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष मृत

फाईलिंग क.आर.सी.टी.3012872016

बैल का पंचनामा तथा नुकसानी पंचनामा तैयार किया था, परंतु पंचनामा प्र.पी.03 तथा नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन लेख किये थे जिसमें उन्होंने अपने पास से सामान बरामद करने की बात बतायी थी, परंतु मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.08 लगायत 11 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सहदेव से लोहे की हॅसिया व जी.आई. तार का बंडल जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी12 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी महादेव से लकड़ी की सूखी खूटिया जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, पंरतु जप्ती प्र.पी.13 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 20— साक्षी अश्वन अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी देवगुन से सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले से कांच की 22 नग शीशियाँ जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, पंरतु जप्ती पत्रक प्र.पी.14 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी बजरू से लोहे के जी.आई. तार का बुराना बंडल जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.15 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.16 लगायत 19 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में उसने जितने भी हस्ताक्षर किया है वह पुलिस के कहने पर किया है तथा उसके हस्ताक्षर के उपर पुलिस ने क्या लिखा—पढ़ी की थी, उसे नहीं बताया था।
- 21— साक्षी साहेबलाल अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष गणेश जी के समय रात्रि में ग्राम धोपघट की

है। वह लोग गणेश प्रतिमा के पास बैठे हुए थे, तब वह खाना खाने के लिए अपने घर तरफ गया। जैसे ही अपने घर के पास पहुँचा तो जंगल तरफ से बैल की आवाज सुनकर वह वापस प्रतिमास्थल पर आकर अन्य लोगों को बताया, जिसके बाद वह सब लोग घटनास्थल पर पहुँचे तो देखा कि एक बैल मरा हुआ था। उक्त बैल हेमसिंह मरकाम का था। घटनास्थल पर शीशी तथा लोहे का जी.आई. तार लगा था। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी।

- 22— साक्षी साहैबलाल अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि तार के सहारे आगे चलने पर लोरमी फाटा में लाईन तक जाकर खत्म हुआ, उक्त बात कोटवार शत्रुघन को बताने पर उसने साथ में आकर चौकीदारी की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.21 पुलिस को देने से इंकार किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 23— साक्षी शत्रुघन अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष गणेश उत्सव के रात्रि के समय की है। वह घटना के समय मंडली में ग्राम अजगरा में था। उसे फोन आया कि जोहरा तालाब जंगल के पास गांव के एक बैगा का बछड़ा आवाज कर रहा है, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुँचा तो वहाँ पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा थे, पास वहीं बिजली का तार पड़ा हुआ था, जिससे बछड़े की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे गांव के लोगों ने बताया था कि आरोपीगण ने मिलकर जंगली जानवर को मारने के लिये बिजली का तार लगाया था, जिससे हेमिसंह के बैल की मृत्यु हो गई, रात में आरोपीगण जंगल की तरफ दिखे थे, वह आरोपीगण से मिलकर न्यायालय में सही बात नहीं

बता रहा है।

- 24— साक्षी बी.एस. चौहान अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 21.09.2016 को एम.पी.ई.बी. मोहगांव में उपयंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस चौकी सालेटेकरी से अपराध कमांक 133/16 के संबंध में ग्राम धुपघट जोहरा तालाब जंगल के पास जी.आई. तार से विद्युत प्रवाह के संबंध में जानकारी चाही गई थी, जिसके संबंध में उसने जानकारी दी थी कि घटना के समय विद्युत लाईन चालू थी तथा जी.आई. तार से विद्युत प्रवाह संभव है और घटनास्थल तथा आरोपी से जप्त तार एक ही प्रकार का है। उक्त पत्र प्र.पी.22 तथा प्र.पी.23 है, जिसके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 25— साक्षी बी.एस. चौहान अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसका बयान पुलिस वालों के द्वारा लिखा गया है, पुलिस वालों ने उसके जो बयान लिखे है वह अपनी मर्जी से लिख लिये है उसने ऐसा बयान नहीं दिया था, विद्युत सप्लाई उस दिनांक को थी या नहीं उसे इसकी जानकारी मांगी गई थी इसके अलावा उसे प्रकरण में कोई अन्य जानकारी नहीं है, पुलिस वालों ने उसे विद्युत तार लाकर दिखाये थे, विद्युत तार कहाँ से लाये थे इसके संबंध में उसे जानकारी नहीं है, वह घटनास्थल पर नहीं गया था। वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि जप्तशुदा तार विद्युत विभाग का है। जप्तशुदा तार ठेकेदार के पास रहता है। साक्षी के अनुसार मार्केट में भी उपलब्ध रहता है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त प्र.पी.23 के दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर है, उक्त दस्तावेज को उसने पढ़कर नहीं देखा था। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।
- 26— साक्षी डॉ० मंजूषा अ.सा.०७ ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.09.2016 को पशु चिकित्सालय परसवाड़ा में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को चौकी सालेटेकरी से अपराध क्रमांक 0/16 के मृत बैल का पोस्टमार्टम हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर उसके द्वारा मृत बैल का शव

परीक्षण किया गया था। शव परीक्षण पर उसने मृत बैल के पास विद्युत तार पाया था। मृत बैल के गर्दन, बांये पेट की तरफ जले हुये निशान पाये थे। चमड़ी को निकालने के बाद भी गर्दन एवं बांये पेट की तरफ जले हुये निशान पाये थे। नाक से खून निकल रहा था, हृदय में काले रंग का खून का थक्का जमा हो गया था, फेफड़े गाढ़े लाल रंग के थे, किडनी और लिवर का रंग फीका था। उसके मतानुसार मृत बैल की मृत्यु उसके परीक्षण के 24 घंटे के भीतर हुई थी तथा इलेक्ट्रिक करंट के कारण बैल की मृत्यु होना प्रतीत होती थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.24 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 27— साक्षी डॉ० मंजूषा अ.सा.०७ ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने मृत बैल की मृत्यु किस कारण से हुई थी इसकी पुष्टि हेतु सेंपल फोरेन्सिक लैब नहीं भिजवाया था, वह मृत बैल के पास बिजली तार देखी थी, इसलिये आज बता रही है कि बैल की मृत्यु बिजली तार के करंट से हुई होगी, मृत बैल के पास बाद में किसी ने बिजली तार लाकर रख दिया हो तो उसे जानकारी नहीं है। वह निश्चित रूप से नहीं बता सकती कि बैल की मृत्यु किस कारण से हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बिजली करंट के अतिरिक्त यदि बैल की मृत्यु हुई हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है।
- 28— साक्षी के.सी. प्रधान अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.09.2016 को चौकी सालेटेकरी में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी हेमसिंह मरकाम की शिकायत पर उसके द्वारा आरोपीगण देवगन, सहदेव, बजरू तथा महादेव के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/16 अंतर्गत धारा—429 भा.द.वि. एवं धारा—135 विद्युत अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात उसने असल कायमी हेतु आरक्षक सनूप सैयाम के द्वारा थाना बिरसा में भेज दिया था और प्रकरण की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्रधान आरक्षक मुकेश रंगारी को दी थी।

- फाईलिंग क.आर.सी.टी.3012872016
- 29— साक्षी के.सी. प्रधान अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा जीरो पर कायमी की गई थी। उसके बाद उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई थी, उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में विवेचना नहीं की गई है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी के बताये अनुसार लेख न कर उसने अपने मन से लेख कर दी थी।
- 30— साक्षी सोमलाल कावरे अ.सा.10 ने कहा है कि वह दिनांक 16.09. 2016 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक 732 सनुक सैयाम चौकी सालेटेकरी ने थाने पर आकर पुलिस चौकी सालेटेकरी में दर्ज 0/16 दिनांक 15.09.16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—01 उसके समक्ष पेश की थी। उसके द्वारा उक्त सूचना पर से आरोपी देवगन, सहदेव, बजरू, महादेव आदि के विरुद्ध थाना बिरसा के अपराध कमांक 133/16 दिनांक 16.09.16 को धारा—135 म.प्र. विद्युत अधिनियम एवं धारा—429 भा.द.वि. का अपराध की असल कायमी की थी, जो प्रपी—26 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर सनुक सैयाम के हस्ताक्षर है।
- 31— साक्षी सोमलाल कावरे अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके समक्ष फिरयादी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया था, आरक्षक सनुक पुलिस चौकी सालेटेकरी से थाने आकर चौकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति लाया था और उसने उस पर से ही असल कायमी की थी, वह आरोपीगण के नाम आरक्षक सनुक के बताये अनुसार बता रहा है, उसे इस प्रकरण के संबंध में और कोई जानकारी नहीं है, यदि उसे आरक्षक सनुक ने गलत जानकारी दिया होगा तो उसे उसकी जानकारी नहीं है।
- 32- साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह दिनांक

15.09.2016 को पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ही उसे अपराध क्रमांक 0/16 अंतर्गत धारा—429 भा.द.वि. एवं धारा—135 म0प्र0 विद्युत अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। केस डायरी प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के घटनास्थल ग्राम धोपघट जाकर प्रार्थी हेमसिंह मरकाम से पूछताछ कर कथन लेख किया, जिसने प्रथम सूचना पत्र में लिखाये अनुसार अपने बयान दिया एवं बताया कि गांव के देवगुन, सहदेब, महादेव, बजरू के द्वारा बिजली का तार लगाकर धोपघट के जंगल में जंगली जानवर मारने हेतु तार बिछाये थे जिसमें फंसकर उसकी गाय मर गई थी। उक्त कथनों की पुष्टि गवाह उदलिसंह, अश्वन, साहेबलाल, बजरू, शत्रुघन ने किये थे। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी हेमसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को हेमसिंह के मृत बैल का पंचनामा गवाह उदलिसंह एवं अश्वन के समक्ष किया गया, जिसमें मृत बैल के शरीर में नीचे बांये तरफ करंट लगने के निशान थे। उक्त पंचनामा प्र.पी.03 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

33— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा हेमसिंह के बैल का नुकसानी पंचनामा उक्त गवाहों के समक्ष तैयार किया गया था, जो प्र.पी.04 है जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जिसमें करीब 10,000/— रुपये की नुकसानी हुई थी। उक्त दिनांक को ही मृत बैल के शव परीक्षण हेतु प्रतिवेदन तैयार कर पशु चिकित्सालय दमोह भिजवाया गया था। मृत बैल के संबंध में ग्राम धोपघट ग्राम पंचायत खुर्सीपार के सरपंच द्वारा उक्त मृत बैल हेमसिंह मरकाम का होने के संबंध में प्रमाण पत्र दिया गया था जो प्र.पी.25 है, जिसके ए से ए भाग पर सरपंच के हस्ताक्षर है। थाना बिरसा से असल अपराध कमांक 133/16 अंतर्गत धारा—429 भा.द.वि. एवं धारा—135 म0प्र0 विद्युत अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी।

- <u>फाईलिंग क.आर.सी.टी.3012872016</u>
- 34— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 के अनुसार उक्त दिनांक को ही हेमिसंह के बताये अनुसार घटनास्थल ग्राम धोपधट जोहरा तालाब जंगल के पास से गवाह उदलसिंह एवं अश्वन के समक्ष लकड़ी की दो—दो फूट खूटियां, पुरानी इस्तेमाल की गई कांच की शीशी, पुराना लोहे का जी.आई. तार लगभग 300 मीटर लंबा तथा बांस की पुरानी लकड़ी करीब 07 फीट लंबी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही प्रकरण में मृत बैल के संबंध में नुकसानी होने से धारा—427 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया था।
- 35— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 के अनुसार दिनांक 19.09.2016 को मुखबिर से सूबना मिलने पर घटना के आरोपी सहदेव मरकाम ग्राम धोपघट में है हमराह स्टाफ के तलाश किया जो ग्राम धोपघट के चौक पर उपस्थित मिला, जिससे गवाह उदलसिंह एवं अश्वन के समक्ष मेमोरेन्डम कथन लेख किया गया, जिसने उक्त घटना को अपने भाई महादेव, देवगन तथा बजरू मरकाम के साथ करना स्वीकार किया जो मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.08 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही घटना में प्रयुक्त एक लोहे का हिसया और जी.आई.तार का बंडल अपने घर की परछी से निकाल कर दिया जिसे गवाह उदलसिंह एवं अश्वन के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.12 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी सहदेव पिता बिसरू मरकाम को उक्त गवाहों के समक्ष ही गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.16 तैयार किया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी सहदेव मरकाम के हस्ताक्षर है।
- 36— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी सहदेव के बताये अनुसार घटना में आरोपी महादेव, देवगन एवं बजरू की तलाश किया। उक्त दिनांक को ही आरोपी महादेव को गवाह उदलसिंह एवं अश्वन के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.17 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के महादेव के

हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष आरोपी महादेव का मेमोरेन्डम कथन लेख किया जो प्र.पी.09 है। प्र.पी.09 में आरोपी महादेव ने बताया कि लोरमीफाटा में बहेरा के पेड़ के पास लकड़ी की खूंटियां छुपाकर रखा है।

- 37— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी महादेव के बताये अनुसार उक्त गवाहों के समक्ष सूखी लकड़ी की खूंटिया करीब 13 नग जोहरा तालाब जंगल से बहेरा पेड़ के पास से ग्राम धोपघट में जप्त कर जप्ती पन्नक प्र.पी.13 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी देवगुन धुर्वे को गवाह उदलसिंह एवं अश्वन के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.18 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के देवगन के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष आरोपी देवगुन का मेमोरेन्डम कथन लेख किया था, जो प्र.पी.10 है। प्र.पी.10 में आरोपी देवगन ने बताया कि कांच की खाली शिशियाँ जोहरा तालाब के पास जंगल में आम के पेड के पास झाडियों में छुपा कर रखा है।
- 38— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी देवगन के बताये अनुसार उक्त गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले में कांच की शिशियाँ करीब 22 नग बिना ढक्कन के जोहरा तालाब जंगल से आम के पेड़ के पास ग्राम धोपघट में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.14 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी बजरू मरकाम को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.19 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के बजरू मरकाम के हस्ताक्षर है।
- 39— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष आरोपी बजरू का मेमोरेन्डम कथन लेख किया जो प्र.पी.11 है। प्र.पी.11 में आरोपी बजरू ने बताया कि लोहे का जी.आई. तार का

<u>फाईलिंग क.आर.सी.टी.3012872016</u>

बंडल घर ग्राम धोपघट में छुपा कर रखा है। उक्त दिनांक को ही आरोपी बजरू के बताये अनुसार उक्त गवाहों के समक्ष लोहे का पुराना जी.आई. तार वजन करीब 01 पाव ग्राम धोपघट में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.15 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 21.09.2016 को उसके द्वारा घटनास्थल से आरोपीगण के बताये अनुसार जप्तशुदा जी.आई तार के परीक्षण हेतु एक पत्र तैयार कर विद्युत कार्यालय मोहगांव भिजवाया गया, जिसमें उपयंत्री वी.एस. चौहान द्वारा जप्तशुदा तार एक ही प्रकृति का है एवं उसमें से विद्युत प्रवाह होती है तथा घटना दिनांक को भी विद्युत प्रवाह होना लेख किया गया है। संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी बिरसा को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- 40— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पहुँचने से पहले उसने प्रार्थी के बयान लिया था, उसने प्रार्थी एवं आरोपीगण के बीच पूर्व में किस प्रकार का संबंध था या उनके मध्य किस प्रकार का संबंध था, इस संबंध में उसने जानकारी प्राप्त नहीं किया था, उसे इस प्रकरण में विवेचना के लिए किस समय डायरी प्राप्त हुई थी उसका उल्लेख नहीं है। साक्षी के अनुसार केस डायरी में उल्लेख है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने विवेचना कब पूर्ण किया था, इसका भी उल्लेख प्रकरण में नहीं किया गया है। साक्षी के अनुसार उक्त संबंध में केस डायरी में लेख है।
- 41— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मौका—नक्शा प्र.पी.02 में उसने प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाया है, प्रार्थी ने उसे मौका—नक्शा के संबंध में गलत घटनास्थल बताया हो तो उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा प्रार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के हस्ताक्षर नहीं लिये गये है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा मृत बैल का पंचनामा अपने मन से तैयार कर लिया गया है, नुकसानी पंचनामा प्र.पी.14 अपने मन से तैयार किया था,

फाईलिंग क.आर.सी.टी.3012872016

प्र.पी.08 में आरोपी सहदेव ने कोई बयान नहीं दिया और उसने अपने मन से लेख कर लिया था, उसने आरोपी महादेव का प्र.पी.09 का बयान अपने मन से लेख किया था, प्र.पी.10 का बयान आरोपी देवगुन ने नहीं दिया था और उसने अपने मन से लेख कर लिया था, प्र.पी.11 आरोपी बजरू ने नहीं दिया था और उसने अपने मन से लेख कर लिया था, उसके द्वारा आरोपीगण से घटनास्थल से कोई सामान जप्त नहीं किया गया था, उसने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, साक्षी हेमसिंह, उदल, साहेबलाल, अश्वन, बजरू, शत्रुघन का बयान उसने अपने मन से लेख किया था। वह नहीं बता सकता कि इस प्रकरण में किसी भी साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन कथन में विवेचना का समर्थन क्यों नहीं किये है। उसने इस प्रकरण में कोई तलाशी नहीं लिया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध फरियादी से मिलकर झूठा प्रकरण तैयार किया है।

42— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को करंट लगने से परिवादी की भैंस की मृत्यु हुई थी, परंतु उक्त घटना आरोपीगण द्वारा कारित की गई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। साक्ष्य के अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपीगण द्वारा बिजली तार बिछाकर हेमसिंह की भैंस की मृत्यु कारित की गई। ऐसी स्थिति में मात्र पुलिस विवेचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा बिजली करंट बिछाकर उक्त घटना कारित की गई। अतः अभियुक्तगण को भा दं०सं० की धारा—429, 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

- 43- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 44— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लकड़ी तथा 66 नग खूटियाँ, पुरानी इस्तेमाल छोटी 30 नग शीशियाँ, एक बांस की पुरानी इस्तेमाल लकड़ी, लकड़ी की सूखी खुटियाँ 13 नग, पुरानी कांच की शीशियाँ बिना ढक्कन की 22 नग मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 45— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का हिसया, को तोड़कर नीलाम कर तथा लोहे का पुराना बंडल जी.आई. तार करीब दो पाव को विधिवत नीलाम कर राशि राजकोष में जमा की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 46— आरोपीगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहे हो तो, इस संबंध में धारा—428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

ALIAN PAROLE SUN